हुक्म		जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/19	वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 के नोटिस बाद तामील लोटे किन्तु उनकी और से कोई उपस्थित नही उन्हें रूक रूक कर अवाजे लगाई गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से पैराकार उपस्थित। वकील प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने संक्षिप्त में अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि गुवाडिया में स्थित खसरा नंबर 5687 में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर सहखातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है व अभी तक प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सीमाकंन द्वारा विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य विवाद होता रहता है, प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजीयात का विभाजन सीमाकंन द्वारा करवाकर अलग करना चाहती है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अविभाजित आराजीयात को अन्य स्टेन्जर व्यक्ति को बेचान कर कब्जा संभलना चाहती है, व यदि स्टेन्जर व्यक्ति ने क्रय कर ली तो भोतिक आधिपत्य को लेकर विवाद बढ जायेंगे। इसलिये जब तक कानूनन वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नही हो जाये तब तक कोई भी सहखातेदारी की आराजी का अन्तरित नही कर सकता है। उक्त प्रकार से प्रार्थीया के हक में प्रथम दृष्टिया केस बनता है, और सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीया संख्या 1 बिना विभाजन कराये बेचान कर देगी तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारीत होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि को किसी भी स्टेन्जर व्यक्ति को अन्तरित नही करे तथा यथास्थिति बनाये रखे। मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबदी संवत 2069 से 2072 में खसरा नंबर 5687 प्रार्थीया 1/2 हिस्से की व अप्रार्थी संख्या 1 जमना 1/2 हिस्से की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदारी में दर्ज समस्त खातेदार को पूर्ण अधिकार होता है, कि वह अपने हिस्से की भूमि को बेचान हस्तांतरण कर सकता है, जबकि प्रार्थीया भी उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार दर्ज है, ऐसी स्थित में बेचान हस्तांतरण पर अप्रार्थीया संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि बाबत पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीया के हक में मामल प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थीया द्वारा प्रथम दृष्टिया	

केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश आज दिनांक 16/1/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 17:34:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: